399

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(176)नाविवि/3/84

जयपुर, दिनांक: 12 [illegible] 2012

परिपत्रादेश

विषयः— राजस्थान राज्य विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु भूखण्ड निःशुल्क आवंटन किये जाने हेतु।

राज्य सरकार द्वारा गाडिया लुहारों को 50 वर्गगज निःशुल्क भूमि निर्धारित शर्तों पर आवंटन करने हेतु आदेश जारी किये गये थे। विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15.06.2012 द्वारा 50 वर्गगज [illegible] निःशुल्क आवंटन करने हेतु दिनांक 31.03.2013 तक अवधि बढ़ायी गयी है।

अब राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के लिए गाडिया लुहारों की तर्ज पर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों (सूची संलग्न) को भी 50 वर्गगज का भूखण्ड निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/समस्त नगर सुधार न्यास एवं सभी स्थानीय निकाय [illegible] में आयोजित शिविरों में उक्त जातियों के परिवारों (सिवाय ऐसे परिवार जिनके पास पूर्व से ही आवासीय मकान अथवा आवासीय भूमि उपलब्ध है) को 50 वर्गगज तक निःशुल्क भूखण्ड आवंटन करना सुनिश्चित करें। ऐसे परिवारों के निःशुल्क भूखण्ड आवंटन हेतु शिविरों में आवेदन प्राप्त किये जावे। यदि अभियान अवधि में कोई आवेदन निस्तारण से शेष रह जाता है तो उसका निर्णय दिनांक 31.03.2013 तक follow-up शिविरों में करना सुनिश्चित करें।

उक्त आवंटन हेतु निम्न शर्तों की पालना आवश्यक रूप से की जावे :—

(i) [illegible] हेतु आवंटित भूमि का उपयोग राज्य में किसी भी अन्य जाति अथवा अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा।

(ii) भूमि चिन्हित होने के तुरन्त बाद पट्टे आवंटित किया जावे ताकि भूमि पर अतिक्रमण की सम्भावना न रहे।

(iii) भूमि आवंटन की पात्रता में उक्त जातियों का होना एवं उसका प्रमाण पत्र जारी होना ही पर्याप्त आधार होगा। इनके जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी ही अधिकृत होंगे।

(iv) भूमि आवंटन के पश्चात् पट्टाधारी व्यक्ति 20 वर्ष तक किसी अन्य को बेचान नहीं कर सकेगा।

संलग्न— उपरोक्तानुसार (Social Welfare Department Order No. F.1(1)(2)SW/63 dated 24-2-1964)

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. [illegible], राजस्थान सरकार।
2. [illegible], राजस्थान सरकार।
3. [illegible]

220